EPCH हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्
Connecting. Empowering. Transforming.
EXPORT PROMOTION COUNCIL FOR HANDICRAFTS

प्रेस विज्ञप्ति

ईपीसीएच ने निर्यात आय प्राप्ति अवधि को बिना किसी दंडात्मक ब्याज के 360 दिनों तक बढ़ाने का आग्रह किया

एमएसएमई को दिए जाने वाले ऋणों पर स्थगन अवधि का अनुरोध

दिल्ली/एनसीआर – 8 सितंबर 2025 – हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) ने विस्तारित क्रेता भुगतान चक्र और वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के हस्तशिल्प निर्यातकों की तरलता और प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने हेतु तत्काल राहत उपायों का आग्रह किया है। वर्तमान परिस्थिति में, निर्यात आय की प्राप्ति में विलम्ब सामान्य हो गया है और अक्सर अधिकांशतः यह निर्यातकों के नियंत्रण से बाहर है।

निर्यातकों की चिंता रेखांकित करते हुए, ईपीसीएच के अध्यक्ष डॉ. नीरज खन्ना ने कहा कि "हस्तशिल्प निर्यातक एक चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश से जूझ रहे हैं, जिसमें भू-राजनीतिक तनाव, प्रमुख बाजारों में पारस्परिक शुल्क, बढ़ी हुई लॉजिस्टिक्स लागत और अनिश्चित माँग कारक शामिल हैं, जो खरीदार के भुगतान चक्र को निर्यातकों के नियंत्रण से बाहर कर रहे हैं। वर्तमान नियमों के अनुसार, 270 दिनों से अधिक में आय प्राप्त होने पर दंडात्मक ब्याज लग जाता है, जिससे कार्यशील पूँजी पर अनावश्यक दबाव पड़ता है । ईपीसीएच आग्रह करता है कि निर्यात आय प्राप्ति की अधिकतम अवधि 360-दिवसीय की जाए, जिसमें एक समान एडी-बैंक कार्यान्वयन हो और प्रमाणित देरी पर दंडात्मक ब्याज माफ किया जाए।"

ईपीसीएच के मुख्य संरक्षक और आईईएमएल के अध्यक्ष, महानिदेशक डॉ. राकेश कुमार ने कहा कि, "एमएसएमई निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए नीति निर्माताओं के साथ अपने जुड़ाव को जारी रखते हुए, हमने भारत सरकार से एक समन्वित राहत पैकेज का अनुरोध किया है, जिसमें ऋण प्राप्ति की समयसीमा का विस्तार और अन्य ऋणों पर मूलधन और ब्याज दोनों को कवर करने वाली एक वर्ष की मोहलत शामिल है।"

डॉ. कुमार ने आगे कहा, "निर्यातक उच्च टैरिफ, शिपमेंट में देरी और बढ़ती लागतों से जूझ रहे हैं, जो एक अभूतपूर्व स्थिति है। समय पर नीतिगत समर्थन के बिना, बुनियादी रूप से मज़बूत व्यवसायों के भी एनपीए के रूप में वर्गीकृत होने का जोखिम है। ऋण प्राप्ति की समय-सीमा बढ़ाने और ऋण चुकौती पर स्थगन देने से निर्यातकों को बाज़ारों में विविधता लाने, नए नियमों का पालन करने और भारत की विदेशी मुद्रा आय में योगदान जारी रखने की सुविधा मिलेगी।"

ईपीसीएच के कार्यकारी निदेशक श्री आर. के. वर्मा ने बताया कि ईपीसीएच देश से दुनिया के विभिन्न गंतव्यों तक हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने और उच्च गुणवत्ता वाले हस्तशिल्प वस्तुओं और सेवाओं के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में विदेशों में भारत की छवि को पेश करने वाली एक नोडल संस्थान है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि वर्ष 2024-25 के दौरान हस्तशिल्प का कुल निर्यात 33,123 करोड़ रुपये (3,918 मिलियन अमेरिकी डॉलर) रहा I

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:
श्री आर. के. वर्मा, कार्यकारी निदेशक, ईपीसीएच
+91-9810697868

EPCH
हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्
Connecting. Empowering. Transforming.

EXPORT PROMOTION COUNCIL FOR HANDICRAFTS

PRESS RELEASE

EPCH Urges Extension of Export realization period to 360-Days – without penal interest
Requests Moratorium period on loans to MSMEs

Delhi/NCR – 08th September'2025 – The Export Promotion Council for Handicrafts (EPCH) has urged for immediate relief measures to preserve liquidity and competitiveness for India's handicrafts exporters amid extended buyer payment cycles and global headwinds. In the current scenario, delays in realization of export proceeds are common and often beyond the control of exporters.

Highlighting the exporters concern Dr. Neeraj Khanna, Chairman-EPCH shared that "Handicrafts exporters are contending with a challenging global environment marked by geopolitical tensions, reciprocal tariffs in key markets, elevated logistics costs and uncertain demand factors that are extending buyer payment cycles beyond exporters control. Under current norms, realisation beyond 270 days attracts penal interest, creating avoidable stress precisely when working capital is most constrained. EPCH urges for a relief framework that sets out a 360-day export proceeds realisation window with uniform AD-bank implementation with waiver of penal interest on substantiated delays."

Dr. Rakesh Kumar, Director General in the role of Chief Mentor – EPCH and Chairman – IEML shared that "Continuing our engagement with policymakers to keep MSME exporters competitive, we have requested a coordinated relief package with the Government of India which includes Extending credit realization timelines and one-year moratorium covering both principal and interest on other loans".

Dr. Kumar further added "Exporters are battling an unprecedented situation marked by high tariffs, shipment delays, and rising costs. Without timely policy support, even fundamentally strong businesses risk being classified as NPAs. Extending credit realization timelines and granting a moratorium on loan repayments will give exporters the flexibility to diversify markets, comply with new regulations, and continue contributing to India's foreign exchange earnings."

Export Promotion Council for Handicrafts is a nodal agency for promotion of exports of handicrafts from the Country and create brand image of magic of the gifted hands of millions of artisans and craftspersons engaged in production of home, lifestyle, textiles, fashion jewellery & accessories products in different craft clusters of the Country. The overall Handicrafts exports during the year 2024-25 was Rs. 33,123 Crores (US $ 3,918 Million) informed by Shri R. K. Verma, Executive Director, EPCH.

For more information please contact:
Mr. R. K. Verma, Executive Director, EPCH
+91-9810679868

Encl: Hindi, English version